फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (FT) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्री अमरचन्द — **विपक्षी : श्री गणेश**

किस्म मुकदमा – 212 रा.का. अधिनियम — **पत्रावली संख्या : 33/21**

जीसीएमएस : 2021/95

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक : 17.12.2024 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। विपक्षी सं. 1 से 3 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व पूर्व में एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जा चुके हैं। अधिवक्ता प्रार्थी की एकतरफा बहस सुनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थी की एकरतफा बहस पर मनन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात के सम्बन्ध में वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 63(1)(4) रा.का.अ. के तहत् प्रस्तुत कर वादग्रस्त भूमि में घोषणा चाही गई हैं। प्रार्थी के कथनानुसार प्रार्थी एवं विपक्षीगण के नाम दर्ज भूमि पूर्व में सामलाती थी, परन्तु प्रार्थी को बंटवाडे में कम भूमि दी गई। इस तथ्य के आधार पर प्रार्थी द्वारा घोषणा चाही गई हैं जिसके साथ मूल वाद का निस्तारण नहीं हो जाये तब तक के लिए अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अस्थाई निषेधाज्ञा चाही गई हैं। वादग्रस्त भूमि प्रार्थी व विपक्षीगण के नाम दर्ज होने से प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन का बिन्दु दोनो के ही पक्ष में साबित होते हैं। प्रकरण के अवलोकन से ज्ञात होता है कि मौके पर उभय पक्षकारान का कब्जे सम्बन्धी भी विवाद है। वादग्रस्त भूमि पृथक पृथक प्रार्थी व विपक्षीगण के नाम दर्ज है इसलिए रेकार्डेड खातेदारों के मध्य कब्जे की यथास्थिति का आदेश दिया जाना उचित नहीं है। परन्तु मौके पर विवाद होने से उभय पक्षकारान को एक दूसरे के कब्जे काश्त में	

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.01.31 12:34:32 IST
Reason: SelfAttested

दखलन्दाजी नहीं करने हेतु पाबंद किया जाना न्यायोचित पाया जाता हैं।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का न्यायहित में आंशिक स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

–: आदेश :–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आंशिक स्वीकार किया जाकर मूल वाद के निस्तारण तक उभय पक्षकारान के विरूद्व इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि मौजा लदाना पटवार हल्का वासनीकलां की आराजी नम्बर 522, 523 किता 2 कुल रकबा 0.4937 हेक्टेयर, आराजी नम्बर 518 रकबा 0.3237 हेक्टेयर, आराजी नम्बर 517, 519, 521 किता 3 कुल रकबा 0.4937 हेक्टेयर एवं आराजी नम्बर 520 रकबा 0.0486 हेक्टेयर भूमि में एक दूसरे के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी नहीं करे। अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहे। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(FT) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.01.31 12:34:32 IST
Reason: SelfAttested